

## Lead Bank Scheme.

सूत्रीय विचार द्वारा की व्यवहार में लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1969 में 'Lead Bank Scheme' प्रारम्भ की थी। इस योजना का उद्देश्य गरीब बैंकीकरण क्षेत्र को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना था। इस काम में महत्त्वपूर्ण योजना देश के सभी जिलों में लागू है।

लीड बैंक के उद्देश्य :-

लीड बैंक उन जिलों का सर्वेक्षण करने हैं जो उच्च आवण्टित किए जाते हैं। इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य जिलों में सार्व की आवश्यकताओं का पता लगाना है। जिनका विकास होना चाहिए। प्रत्येक लीड बैंक को निर्धारित जिलों की आवश्यकताओं का पता लगाना और ऐसी कदमों का पता लगाना है जहाँ आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

लीड बैंकों के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं :-

(i) बैंकों की शारणाओं के विस्तार के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करना।

(ii) समस्त क्षेत्र को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक शारणाओं के विस्तार का एक निश्चित कार्यक्रम तैयार करना।

(iii) स्थानीय उद्योगियों को लघु उद्योग तथा कृषि विकास की योजनाओं में सम्मिलित करने के

उद्देश्य से सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाना।

(iv) जिलों की विकास में आनेवाली बाधाओं का अनुमान लगाना और उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों की स्थापना करना।

(v) ऐसी विनीय योजनाओं का परीक्षण करना जो कि संसाधन के संघर्ष तथा स्थानीय लोगों की विवेक के लिए प्रेरित कर सकें।

Level Bank एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के योजनाओं को जोड़ती है। कार्गिनि नियोजन की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए यह आवश्यक समझा जाता कि जिला स्तर पर विकास प्रारम्भ हो। बैंकिंग संस्थाओं के विकास के लिए जो क्षेत्रीय विचार चारा स्थापना की गयी है उसमें जिलों को महत्व दिया गया है।

लीड बैंक योजना अब देश के सभी जिलों में क्रियाशील है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जिला परामर्शदात्री समितियों का गठन किया है जिसमें लीड बैंक अधिकारियों, रिजर्व बैंक के लीड जिला अधिकारियों एवं जिला समन्वयकर्ताओं को व्यापक अधिकार सौंपे गए हैं। लीड बैंक योजना को प्रभावशाली बना देने लागू करने के लिए बैंक अधिकारियों और राज्य कार्यचारिणी के संयुक्त प्रशिक्षण

की व्यवस्था की गई है। इन संदर्भ में श्री  
एफ० के० एफ० लरीमत की अध्यक्षता में  
गठित समिति के अनुसार भारत के 335  
जिलों की 17 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है।  
वर्तमान में लीड क्षेत्र योजना 472 जिलों में  
लागू है जिसका 374 दायित्व राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों  
द्वारा और राष्ट्रीयकृत क्षेत्रों, जम्मू एवं काश्मीर  
क्षेत्र तथा क्षेत्रों द्वारा राजधानी पर है।

समाप्त